

:: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ::

:: विज्ञप्ति ::

क्रमांक : 09/ई.वी./2014


दिनांक : **31.05.2014**

अधिसूचना संख्या 04/S.R.O./2014 दिनांक 30.05.2014 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 30.05.2014 को प्रकाशित) द्वारा सामान्य नियम, 1986 के नियम 7 व 8 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप इस कार्यालय की पूर्व विज्ञप्ति क्रमांक 04/ई.वी./2014 दिनांक 14.03.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए तुरन्त प्रभाव से शनिवार दिनांक 28 जून, 2014 तक समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय एवं कार्यालय का समय निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाता है :-

न्यायालय का समय- प्रातः **8.00** बजे से मध्याह्न **12.30** बजे तक
(**10.00** बजे से **10.15** बजे तक मध्याह्नतर)

कार्यालय का समय- प्रातः **7.30** बजे से मध्याह्न **01.00** बजे तक
(मध्याह्नतर नहीं)

नोट:- पीठासीन अधिकारी प्रातः **7.30** बजे से **8.00** बजे तक तथा मध्याह्न **12.30** बजे से **1.00** बजे तक चैम्बर्स में कार्य करेंगे ।

आज्ञा से,


(विजय कुमार व्यास)
रजिस्ट्रार जनरल